

लय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर


2/19/23

तारीख रजू.....

यशवीर

बनाम

सतवीर वगैरा

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.2023	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः उभयपक्षकारान् को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 139, 140, वाके ग्राम रानोता तहसील कठूमर मे रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।</p> <p>अप्रार्थी को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 04.08.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 04.08.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अलवर जिला कठूमर (अलवर) राज० </p> <p>4/8/23</p> <p>सुबाब संश्लेषण 2/19/23 शपथ पत्र 2/19/23 पत्रावली दिनांक 2/19/23 को पेश हो।</p> <p>2/19/23</p> <p>मासिक आदेश दिनांक 20/7/23 की तामील में पत्रा की वास्ते 2/19/23 को पेश हो।</p>	



महोदय

मुकाम संदीपन ०२/०१/२४
राज्य-उत्तरांचल ०१२०२४
पत्रावली दिनांक ११/१/२४
को पत्र हो

११/१/२४

मुकाम संदीपन ०२/०१/२४
राज्य-उत्तरांचल ०१२०२४
पत्रावली दिनांक १४/३/२४
को पत्र हो

१४/३/२४

मुकाम संदीपन ०२/०१/२४
राज्य-उत्तरांचल ०१२०२४
पत्रावली दिनांक १४/३/२४
को पत्र हो

१४/३/२४

मुख्य अधिकारी
कानून (०२०२४)

१४/५/२४

मुकाम संदीपन ०२/०१/२४
राज्य-उत्तरांचल ०१२०२४
पत्रावली दिनांक ६/६/२४
को पत्र हो

६/६/२४

वकील जमी उपाधिकार नहीं आये- वकिल व अमे
जमी के पत्र- २ आवाज रिफाई गडि
कोई उपाधिकार नहीं आया। अतः जमी को
जमीना- पत्र गन्तव्य वकिल जमी के
दरम फौजी- अदम दजरी के जमी हस्त पर
व्यक्ति किया जाता है पत्रावली लौभठ
शुभा केम मूल पत्र के साथ बलवैर रहे

मुख्य अधिकारी
कानून (०२०२४)